(4)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :— महेन्द्र मीणा,आर.ए.एस.
राजस्व मूल वाद संख्या 02/2013

A 1/27

वादी :—
1.दलाराम पुत्र जालूराम जाति जाट उम्र 60 वर्ष निवासी सिंधपुरा हीराणी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण
1.राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधी भूमिधारी तहसीलदार नावां
2.तहसीलदार, अतिरिक्त तहसील कुचामनसिटी

दावा बाबत खातेदारी घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :— श्री पुष्पेन्द्रसिंह मेड़तिया अधिवक्ता वादी की ओर से ।

निर्णय

दिनॉक :— 26/6/15

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम हीराणी में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नंबर 67 रकबा 42 बीघा 2 बिस्वा स्थित चली आ रही है, जिसके नये भू–प्रबन्ध कार्यवाही के समय नये खसरा नम्बर 253 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 255 रकबा 5.44 हैक्टर, खसरा नम्बर 257 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 1011/255 रकबा 0.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 256 रकबा 0.77 हैक्टर कुल रकबा 6.81 हैक्टर कायम हुए । ग्राम हीराणी के खसरा नम्बर 67 रकबा 42 बीघा 2 बिस्वा भूमि वादी के खातेदारी अधिकारो व कब्जे काश्त की रही है । उक्त सम्पूर्ण भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 253,255,256,257,1011/255 कुल रकबा 6.81 हैक्टर एक ही चक मे स्थित चली आ रही है । उक्त भूमि ग्राम हीराणी से नवीन ग्राम सिंधपुरा बनने पर सिंधपुरा मे स्थित है । वादी ने खसरा नम्बर 255 की सम्पूर्ण भूमि का रजिस्टर्ड बेचान कर दिया है । भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान खसरा नम्बर 256 रकबा 0.77 हैक्टर भूमि को वादी के खातेदारी मे कम करते हुए सरकारी खाते मे इन्द्राज कर दिया गया । जबकि ऐसा भू–प्रबन्ध अधिकारियो ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी अधिकारो की भूमि का रकबा कम करने, खातेदारी अधिकार समाप्त करने व सरकारी खाते मे इन्द्राज करने का कोई कानूनी हक अधिकार प्राप्त नही था। नवीन भू–प्रबन्ध अधिकारियो द्वारा ऐसा करना वादी को प्राप्त कानूनी अधिकारो पर कोई विपरीत असर नही पड़ता है । नवीन खसरा नम्बर 256 रकबा 0.77 हैक्टर भूमि पर आज दिन भी कब्जा काश्त वादी का है तथा पुराने खसरा नम्बर 67 के नवीन खसरा नम्बर 253,255,257,1011/255,256 की भूमि का एक ही चक है जिसके चारो ओर कच्ची डोल लगी हुई है तथा वादी के कब्जे काश्त मे है तथा वादी कदीम से काश्त करता चला आ रहा है तथा उक्त भूमि वादी के खातेदारी अधिकारो की है ।

.......2.........

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

राजकीय भूमि दर्ज होने के जानकारी वादी को हाल ही में नकल प्राप्त करने पर हुई । वादी अपने कब्जे काश्त की भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकार रखता है । पटवारी हल्का एवं राजस्व अधिकारियो को उपरोक्त दुरूस्ती करने को कहा तो उन्होने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया । इसलिए यह वाद बाबत् घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती का पेश करना लाजमी हुआ। वादी की इस्तदुआ है कि एक डिक्री बाबत् घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 इस आशय की सादिर फरमाई जावें कि ग्राम सिंधपुरा हीराणी में स्थित कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 256 रकबा 0.77 हैक्टर का वादी को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी का नाम राजस्व अभिलेख मे संशोधन कर इन्द्राज किए जाने के आदेश प्रतिवादीगण को दिए जावें ।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीगण बावजूद इतला अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्ध एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य मे जमाबन्दी नकल सम्वत् 2012–2015, 2016–2019, 2020–2023, 2032–2035, 2039–2042, 2039–2042, 2065–2068, गिरदावरी नकल सम्वत् 2010–2013, 2014–2016, 2017–2020, 2032–2035, मिसल बन्दोबस्त 2008–2026 की नकल, मिलान क्षेत्रफल नकल, नक्शा ट्रेस नया एवं पुराना की नकल, 80 (1) सी.पी.सी. पंजीकृत सूचना पत्र की प्रति, प्रस्तुत की । मौखिक साक्ष्य में वादी द्वारा स्वयं का शपथ पत्र एवं गवाह के रूप में पूसाराम, किशनाराम, मोहनराम रामनिवास,मदनलाल एवं सोहनलाल के शपथ–पत्र प्रस्तुत किये । जो शामिल मिसल उपलब्ध है ।

पत्रावली की सुनवाई केम्प कोर्ट हीराणी में होने से सुनवाई की गई । वकील वादी उपस्थित । वकील वादी ने बहस सुनाई एवं दौराने बहस नजीरे पेश की । वकील वादी की बहस सुनी एवं नजीरो का अवलोकन किया । वकील वादी ने बहस में बताया की ग्राम हीराणी के गत खसरा नम्बर 67 रकबा 42 बीघा 2 बिस्वा ग्राम हीराणी का नया ग्राम सिंधपुरा हुआ । पुराने खसरा नम्बर 67 के नये खसरा नम्बर 253,255,256,257,1011/255 बने । गत खसरा नम्बर 67 का रकबा 42 बीघा 2 बिस्वा वादी के पिता जालूराम के नाम खातेदारी रही तथा उनकी मृत्यु के बाद विरासत से वादी के कब्जे एवं काश्त एवं खातेदारी अधिकारो की रही है। नये सेटलमेन्ट में नये खसरा नम्बर कायम हुये । खसरा नम्बर 67 रकबा 42 बीघा 2 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 253,255,257 1011/255 वादी की खातेदारी मे दर्ज हो गये, जिनका रकबा 6.04 हेक्टर है। खसरा नम्बर 256 खातेदारी में दर्ज नही होकर सेटलमेन्ट की भूल से सरकारी खाते मे दर्ज कर दिया गया । भू–प्रबन्ध अधिकारी ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश एवं बिना किसी राजस्व अधिकारी के प्रार्थी की खातेदारी भूमि सरकारी खाते मे दर्ज करने का भू– प्रबन्ध अधिकारी को कतई अधिकार नही था । खसरा नम्बर 256 रकबा 0.77 हैक्टर पर आज दिन भी वादी की कब्जा काश्त है एवं

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

A 3/29

(6)

खसरा नम्बर 253,255,257,1011/255 एवं 256 की भूमि एक ही चक में है। उक्त भूमि के चारो तरफ डोल लगी हुई है, इसलिए निवेदन है कि मौजा ग्राम सिंधपुरा के खसरा नम्बर 256 रकबा 0.77 हैक्टर को सरकारी खाते से अंकन हटाकर वादी के नाम खातेदारी दर्ज करने के आदेश प्रदान करावे ।

वकील वादी की बहस एवं प्रस्तु नजीरो एव वादी के वाद पत्र एव प्रस्तुत जमाबन्दी एवं गिरदावरी नकल तथा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यो एवं केम्प कोर्ट हीराणी में उपस्थित मौतबरान की पूछताछ एवं बताये अनुसार अवलोकन एवं मनन करने पर एवं मिलान क्षेत्रफल अनुसार नये खसरा नम्बर एवं पुराने खसरा नम्बर का रकबा एक समान होने से तथा गिरदावरी में अंकित प्रविष्टियो मे वादी एवं उनके पिता का लगातार कब्जा काश्त होने एवं लगातार खातेदारी दर्ज चली आने से न्यायालय का मत है कि ग्राम हीराणी के गत खसरा नम्बर 67 रकबा 42 बीघा 2 बिस्वा ग्राम हीराणी का नया ग्राम सिंधपुरा एवं गत खसरा नम्बर 67 के नये खसरा नम्बर का रकबा समान होने से व संलग्न नया एवं पुराना नक्शा ट्रेस जिसमें गत खसरा नम्बर 67 के नये खसरा नम्बर 256 जो 253,255,257,1011/255 एक ही चक में साबित होने पर खसरा नम्बर 256 पुराने गत खसरा नम्बर 67 का ही बना होने से वादी का वाद काबिल डिक्री पाये जाने से निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है ।

आदेश

ग्राम सिंधपुरा पटवार हल्का हीराणी के खसरा नम्बर 256 रकबा 0.77 हैक्टर का वादी दलाराम पुत्र जालूराम जाति जाट निवासी सिंधपुरा तहसील कुचामनसिटी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। उक्त अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो ।

निर्णय आज दिनॉक 26/6/2015 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(महेन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(नागौर)

उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर कुचामनसिटी (नागौर)